



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 03 दिसम्बर, 2025 / 12 मार्गशीर्ष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

*Shimla, the 19th November, 2025*

**No. HHC/GAZ/14-430/2024-Part.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave w.e.f. 21-11-2025 to 29-11-2025 with permission to suffix Sunday falling on

191—राजपत्र / 2025—03—12—2025

(8743)

30-11-2025 in favour of Sh. Raghav Sharma Civil Judge-cum-JMFC-II, Rohru, H.P.

Certified that Sh. Raghav Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Raghav Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC-II, Rohru, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

## HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

### NOTIFICATION

*Shimla, the 20th November, 2025*

**No. HHC/GAZ/14-52/74-VIII.**—In the interest of Administration, **Ms. Kirti Bhushan, Ms. Simranjeet Kaur, Shri Pranav Negi, Ms. Rashmi Dogra, Ms. Bindra Devi, Ms. Bhavya Saini, Ms. Urvashi, Ms. Shashi Bala and Ms. Simran**, on their appointment as Civil Judges *vide* H.P. Government Notification No. HOME-B-B(2)2/2013 Vol-VI, dated 12-11-2025, are detailed to undergo induction training in the H.P. Judicial Academy, Shimla with immediate effect till further orders and posted for the purpose of drawl of their salary etc. as under:—

1. Ms. Kirti Bhushan, Civil Judge (Leave/Training Reserve), High Court of H.P., Shimla.
2. Ms. Simranjeet Kaur, Civil Judge (Leave/Training Reserve), High Court of H.P., Shimla.
3. Sh. Pranav Negi, Civil Judge (Leave/Training Reserve), High Court of H.P., Shimla.
4. Ms. Rashmi Dogra, Civil Judge (Leave /Training Reserve), High Court of H.P., Shimla.
5. Ms. Bindra Devi; Civil Judge (Leave/Training Reserve), High Court of H.P., Shimla.
6. Ms. Bhavya Saini, Civil Judge, ADR Centre, Shimla.
7. Ms. Urvashi, Civil Judge, ADR Centre, Kangra at Dharamshala.
8. Ms. Shashi Bala, Civil Judge, ADR Centre, Una.
9. Ms. Simran, Civil Judge-VII, Shimla.

**Note.—The above postings are subject to furnishing of the acceptance of offer of appointment by the aforementioned candidates before the Registrar General as well as Home Department of the Government of H.P. within stipulated time frame.**

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 20th November, 2025*

**No. HHC/Admn.16(13)74-XII.**—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Praveen Lata (HIM/598/2018) Advocate, as Oath Commissioner at District Courts, Chakkar, Shimla, for a period of two years with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-  
Registrar (Administration).

---

**In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)**

Smt. Ahalya Devi s/o w/od/o Sh. Chand, r/o Village Khango, P.O. Ranuhkothi, Tehsil & District Chamba (H.P.) *Applicant.*

*Versus*

General Public

*Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.*

Whereas, Ahalya Devi s/o w/od/o Sh. Chand, r/o Village Khango, P.O. Ranuhkothi, Tehsil & District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of Delayed Birth/Death *i.e.* 27-01-1963 for further entry in the records of Gram Panchayat Ranuhkothi, development block

Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

| Sl. No. | Name                           | Date of Birth |
|---------|--------------------------------|---------------|
| 1.      | Smt. Ahalya Devi d/o Sh. Chand | 27-01-1963    |

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Ranuhkothi, may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this    day of    2025.

Seal.

Sd/-  
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,  
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

**In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)**

Smt. Kanto s/o w/od/o Sh. Padha Ram, r/o Village Tipri, P.O. Garola, Tehsil & District Chamba (H.P.) *Applicant.*

*Versus*

General Public

*Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.*

Whereas, Kanto s/o w/od/o Sh. Padha Ram, r/o Village Tipri, P.O. Garola, Tehsil & District Chamba (H.P.) has filed an affidavit for registration of Delayed Birth/Death *i.e.* 01-01-1960 for further entry in the records of Gram Panchayat Garola, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

| Sl. No. | Name                         | Date of Birth |
|---------|------------------------------|---------------|
| 1.      | Smt. Kanto d/o Sh. Padha ram | 01-01-1960    |

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Garola, may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this    day of    2025.

Seal.

Sd/-  
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,  
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

**In the Court of Sh. Anil Kumar Bhardwaj, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Dalhousie, District Chamba (H.P.)**

In the Matter of :

1. Ankush Kumar s/o Shri. Barfo Ram, r/o Village Pukhri, P.O. Banikhet, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) age 32 years.

2. Anjali Devi d/o Sh. Janak Raj, r/o Village Bhadini, P.O. Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) age 29 years . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.*

Ankush Kumar and Anjali Devi have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 08-10-2019 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13th December, 2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

Sd/-  
(ANIL KUMAR BHARDWAJ),  
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Dalhousie, District Chamba (H. P.).

**In the Court of Sh. Anil Kumar Bhardwaj, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Dalhousie, District Chamba (H.P.)**

In the Matter of :

1. Abhishek Kumar s/o Shri Chudamani, r/o Village Dhunera, P.O. Sherpur, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) age 24 years.

2. Riya Saini d/o Sh. Ram Lubhaya, r/o VPO Raipur, Tehsil & District Gurdaspur (P.B.) age 29 years . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.*

Abhihek Kumar and Riya Saini have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 10-10-2025 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15th December, 2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

Sd/-  
(ANIL KUMAR BHARDWAJ),  
*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,*  
*Dalhousie, District Chamba (H. P.).*

**In the Court of Sh. Anil Kumar Bhardwaj, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Dalhousie, District Chamba (H.P.)**

In the Matter of :

1. Navdeep Raj Rathore s/o Shri Hans Raj Rathore, r/o Raj Bhawan Road, Sadar Bazar, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) age 54 years.

2. Pooja Champalia d/o Sh. Prakash Chand Champalia, r/o VPO Chandi, Tehsil & District Chamba (H.P.) age 50 year . . . *Applicants.*

*Versus*

General Public

*Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.*

Navdeep Raj Rathore and Pooja Champalia have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 20-04-2023 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in

writing before this court on or before 15th December, 2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

Sd/-  
(ANIL KUMAR BHARDWAJ),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Dalhousie, District Chamba (H. P.).*

**In the Court of Sh. Anil Kumar Bhardwaj, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Dalhousie, District Chamba (H.P.)**

In the Matter of :

1. Sonu Kumar s/o Shri Bhim Sen, r/o Village Bassi, P.O. Balera, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) age 33 years.

2. Smt. Sonika Thakur d/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Ward No. 1, Village Badoh, P.O. Bagdhar, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) age 30 years . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.*

Sonu Kumar and Smt. Sonika Thakur have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 21-10-2025 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 15th December, 2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

Sd/-  
(ANIL KUMAR BHARDWAJ),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Dalhousie, District Chamba (H. P.).*

**In the Court of Sh. Anil Kumar Bhardwaj, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Dalhousie, District Chamba (H.P.)**

In the Matter of :

1. Digweshwar Singh Bhadwal s/o Shri Rajinder Singh, r/o Village Sandhara, P.O. Sudli, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) age 47 years.

2. Sapna Bhadwal d/o Sh. Jagdish Chand Sapahia, r/o Village Uschar, P.O. Paniali, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) age 41 years . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.*

Digweshwar Singh Bhadwal and Sapna Bhadwal have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 28-11-2018 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 15th December, 2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

Sd/-  
(ANIL KUMAR BHARDWAJ),  
Marriage Officer-cum-Su -Divisional Magistrate,  
Dalhousie, District Chamba (H. P.).

**In the Court of Sh. Vikash Shukla, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional  
Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Sushil Kumar aged 26 years s/o Sh. Mehar Singh, r/o Village Bhatani, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Savita Kumari aged 21 years d/o Sh. Vijay Kumar, W. No. 3, r/o Village Sawana, P.O. Banalag, Tehsil Bamson at Toni Devi, District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

*Versus*



General Public

. . Respondent.

*Subject.*—Notice of the Intended Marriage.

Sushil Kumar aged 26 years s/o Sh. Mehar Singh, r/o Village Bhatani, P.O. Jol Lambri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Savita Kumari aged 21 years d/o Sh. Vijay Kumar, W. No. 3, r/o Village Sawana, P.O. Banalag, Tehsil Bamson at Toni Devi, District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 08-01-2026. The objections received after 08-01-2026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-11-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(SH. VIKASH SHUKLA, H.A.S.),  
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Abhishek Dogra s/o Shri Karam Chand, r/o Village Upper Darogan, P.O. Thana Mandi, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) Pin-177 022.

2. Smt. Reenu Kumari d/o Sh. Joginder Singh, r/o Village Dipur, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.*— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Abhishek Dogra & Smt. Reenu Kumari have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 17-12-2025. In case no objection is received by 17-12-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 18-11-2025.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rohit Kumar s/o Shri Duni Chand, r/o V.P.O. Lambloo, Sub-Tehsil Lambloo & District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Anjali Kumari d/o Sh. Raj Kumar, r/o V.P.O. Lambloo, Sub-Tehsil Lambloo & District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Rohit Kumar & Smt. Anjali Kumari have filed an application U/S 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned stating therein that their marriage ceremony has been performed on 03-11-2025 at Bharmari Devi Jan Kalyan Sanstha (Regd. No. 00616) 22 mansa devi Market Sector 4 Panchkula Haryana according to Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 23-12-2025. In case no objection is received by 23-12-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 19-11-2025.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Vinod Kumar s/o Shri Nasib Singh, r/o Village Kaloh, P.O. Bhater, Tehsil Bamsan at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).

2. Smt. Rachna Devi d/o Sh. Kalu Ram, r/o Village Sokani Da Kot, P.O. Khanyara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Sh. Vinod Kumar & Smt. Rachna Devi have filed an application U/S 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents before the court of undersigned stating therein that their marriage ceremony has been performed on 16-09-2025 at Santoshi Mata Mandir Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) according to Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 26-11-2025. In case no objection is received by 26-11-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 27-10-2025.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sub-Division Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

|            |                   |            |            |
|------------|-------------------|------------|------------|
| मिसल नम्बर | किस्म मुकद्दमा    | तारीख दायर | तारीख पेशी |
| 39/NT/2025 | जन्म तिथि पंजीकरण | 26-08-2025 | 12-12-2025 |

सुश्री स्नेह लता पुत्री हाकम चन्द, वासी मोहाल जगडियाल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री स्नेह लता पुत्री हाकम चन्द, वासी मोहाल जगडियाल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण प्रार्थिया सुश्री स्नेह लता पुत्री हाकम चन्द, वासी मोहाल जगडियाल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 12-09-1975 को ग्राम पंचायत पटलान्दर में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत पटलान्दर में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत पटलान्दर में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 12-12-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 26-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

|            |                   |            |            |
|------------|-------------------|------------|------------|
| मिसल नम्बर | किस्म मुकद्दमा    | तारीख दायर | तारीख पेशी |
| 63/NT/2025 | जन्म तिथि पंजीकरण | 25-11-2025 | 12-12-2025 |

श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री बसंत सिंह, वासी मोहाल सौड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)  
वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री बसंत सिंह, वासी मोहाल सौड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री बसंत सिंह, वासी मोहाल सौड़, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-01-1951 को ग्राम पंचायत जोल लम्बरी में हुआ था तथा सहबन गलती से जोल लम्बरी में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत जोल लम्बरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 12-12-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 26-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)**

|                          |                                     |                          |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| मिसल नम्बर<br>64/NT/2025 | किस्म मुकद्दमा<br>जन्म तिथि पंजीकरण | तारीख दायर<br>26-11-2025 | तारीख पेशी<br>12-12-2025 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री मिलखी राम, वासी मोहाल थाती रिहालां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री मिलखी राम, वासी मोहाल थाती रिहालां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना-पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री मिलखी राम, वासी मोहाल थाती रिहालां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-11-1962 को ग्राम पंचायत खैरी में हुआ था तथा सहबन गलती से खैरी में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत खैरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 12-12-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 26-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

|                     |                               |                         |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| केस नं0 : 08TE/2025 | किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण | तारीख पेशी : 03-11-2025 |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|

चम्पा

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया चम्पा पत्नी जुगनू वर्तमान निवासी गांव प्रनोह डाकघर व तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया के बेटे अनमोल का जन्म दिनांक 05-07-2007 को घर पर हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश व अनपढ़तावश ग्राम पंचायत लदोह के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया है। अतः सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जन्म पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होंगे तथा प्रार्थिया चम्पा के बेटे अनमोल के जन्म पंजीकरण दिनांक 05-07-2007 के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ता/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पंचरूखी,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा :  
इन्तकाल मखफूल उलखबरी

मुकद्दमा नं0  
35/NT/2025

तारीख पेशी :  
27-12-2025

1. श्रीमती नीलम देवी पत्नी व 2. मीनाक्षी कटोच पुत्री उदय सिंह, निवासी वार्ड नं0 03, अगोजर, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—उदय सिंह पुत्र रसील सिंह पुत्र शंकर सिंह, निवासी महाल अगोजर, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का मखफूल उलखबरी का इन्तकाल दर्ज करने बारे।

प्रार्थीगण 1. श्रीमती नीलम देवी पत्नी व 2. मीनाक्षी कटोच पुत्री उदय सिंह, निवासी वार्ड नं0 03, अगोजर, तहसील पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया कि इनके पति/पिता पिछले 12-13 वर्षों से लापता हैं और न ही स्थानीय पंचायत में किसी से और न ही हमारे किसी रिश्तेदार से उनका कोई सम्पर्क है इसलिए उनको मृत घोषित करके उनकी सम्पत्ति जोकि महाल अगोजर खास में स्थित है का इन्तकाल उत्तराधिकारी के नाम दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस अखबारी इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस केस बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर-हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-11-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ता/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
पंचरूखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 82 Misc. /NT / 2025

श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री सिकन्दरा महतो, निवासी राजी गंज विनजी कटिहार, सेमापुर फैक्टरी बिहार-854115 हाल पता गांव वैला इन्दौरा, डाकघर मन्ड मझवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री सिकन्दरा महतो, निवासी राजी गंज विनजी कटिहार, सेमापुर फैक्टरी बिहार-854115 हाल पता गांव वैला इन्दौरा, डाकघर मन्ड मझवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि कुसुम कुमारी पुत्री सिकन्दरा महतो का जन्म दिनांक 30-03-2019 को गांव वैला इन्दौरा, डाकघर मन्ड मझवां, पंचायत बसन्तपुर, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिसे वह अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सकी, जिसे वह ग्राम पंचायत बसन्तपुर के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत उलैहड़ियां के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0**

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी 18-12-2025

1. सोना देवी पुत्री जगदीश लाल, निवासी चोडन, डाकघर व तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. प्रत्यार्थी।

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश “मुश्री मुनादी” व चस्पांगी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थिया सोना देवी पुत्री जगदीश लाल, निवासी चोडन, डाकघर व तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत भाटी बोहन, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थिया सोना देवी पुत्री जगदीश लाल, निवासी चोडन, डाकघर व तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत भाटी बोहन, हि0प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उनका जन्म दिनांक 08-09-1977 को ग्राम भाटी बोहन में हुआ था। परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत भाटी बोहन के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश “मुश्री मुनादी” व चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 18-12-2025 दोपहर 2.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असातन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर ग्राम पंचायत भाटी बोहन को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 111/N/2025

तारीख पेशी : 15-12-2025

टेक चन्द पुत्र खलैली राम, निवासी महाल औच कलां, मौजा एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता महाल औच कलां, औच खुर्द, उप—तहसील जयसिंहपुर

प्रतिवादी।

विषय.—भू—राजस्व अभिलेख स्थित महाल औच कलां, मौजा एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैबेन्यू एक्ट, 1954 धारा 38(अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

मुश्री मुनादी बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में टेक चन्द पुत्र खलैली राम, निवासी महाल औच कलां, मौजा एवं उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम टेक चन्द है, परन्तु महाल औच कलां, औच खुर्द के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सोहण सिंह गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी महाल हजा में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।



अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल औच कलां, औच खुर्द के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोहण सिंह के बजाये टेक चन्द उपनाम सोहण सिंह करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-11-2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज बाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 15-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : विवाह पंजीकरण

तारीख पेशी : 15-12-2025

1. साहिल राणा पुत्र सुभाष चन्द, निवासी गांव साई, डाकघर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

2. अदिशी पुत्री वीरेन्द्र कुमार, निवासी गांव खोपा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.—मुश्त्री/मुनादी व इश्तहार राजपत्र बराये विवाह दर्ज करने बारे।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी:

प्रार्थीगण ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया कि दिनांक 05-12-2024 को हिन्दू रीति-रिवाज से इनकी शादी गांव सनोट, डाकघर व तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुई है। वह तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत आलमपुर में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-12-2025 को हाजिर अदालत होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उपरोक्त शादी को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत आलमपुर को जारी कर दिए जावेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 15-11-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : विवाह पंजीकरण

तारीख पेशी : 15-12-2025

1. विशाल कुमार पुत्र वंशी लाल, निवासी गांव व डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

2. निधिका कश्यप पुत्री कशमीर सिंह, निवासी गांव सनोट, डाकघर व तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

विषय.—मुश्त्री/मुनादी व इश्तहार राजपत्र बराये विवाह दर्ज करने बारे।

इश्तहार मुश्त्री मुनादी:

प्रार्थीगण ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया कि दिनांक 05-12-2024 को हिन्दू रीति—रिवाज से इनकी शादी गांव सनोट, डाकघर व तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुई है। वह तब से दोनों पति—पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत आलमपुर में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-12-2025 को हाजिर अदालत होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उपरोक्त शादी को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत आलमपुर को जारी कर दिए जावेंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर आज से दिनांक 15-11-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 15-12-2025

सरोज कुमारी पुत्री जगदीश चन्द, निवासी गांव छतडू देवी, डाकघर बालकरुपी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार मुश्री मुनादी:

प्रार्थिया सरोज कुमारी पुत्री जगदीश चन्द, निवासी गांव छतडू देवी, डाकघर बालकरुपी, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 31-05-1960 को गांव छतडू, ग्राम पंचायत बालकरुपी में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे माता-पिता द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत बालकरुपी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त सरोज कुमारी पुत्री जगदीश चन्द पता उपरोक्त की जन्म तिथि 31-05-1960 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 15-12-2025 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त सरोज कुमारी पुत्री जगदीश चन्द पता उपरोक्त के जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत बालकरुपी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर आज दिनांक 17-11-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : विवाह पंजीकरण

तारीख पेशी : 15-12-2025

1. रोहित पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव जीहण, डाकघर गंदड़ मरेरा, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

2. पिकी पुत्री दलीप हरिजन, r/o Kaimbwala Chandigarh-160103.

प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुश्री/मुनादी व इशतहार राजपत्रित बराये विवाह दर्ज करने बारे।

इशतहार मुश्री मुनादी:

प्रार्थीगण ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया कि दिनांक 12-08-2024 को हिन्दू रीति-रिवाज से इनकी शादी सीता राम मन्दिर विजयपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुई है। वह तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत सकोह में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-12-2025 को हाजिर अदालत होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उपरोक्त शादी को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत सकोह को जारी कर दिए जावेंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर आज से दिनांक 15-11-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 15-12-2025

गायत्री देवी पुत्री जमीत सिंह, हाल पत्नी मस्त राम, निवासी गांव लोहल, डाकघर चवूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार मुश्री मुनादी:

प्रार्थिया गायत्री देवी पुत्री जमीत सिंह, हाल पत्नी मस्त राम, निवासी गांव लोहल, डाकघर चवूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 25-04-1961 को गांव कूहण, ग्राम पंचायत कूहण में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे माता-पिता द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत कूहण को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त गायत्री देवी पुत्री जमीत सिंह हाल पत्नी मस्त राम, निवासी गांव लोहल, डाकघर चवूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 की जन्म तिथि 25-04-1961 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 15-12-2025 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त गायत्री देवी पुत्री जमीत सिंह हाल पत्नी मस्त राम, निवासी गांव लोहल, डाकघर चवूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 के जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत कूहण को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17-11-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

### CORRECTION OF NAME

I, Dr. Sangeet Kaur, w/o Sh. Gagandeep Dhillon, r/o H. No. C 34B, Sec-2, New Shimla, Distt. Shimla (H.P.) declare that in my service records my name is wrongly written as Sangeet Kaur Dhillon instead of my correct name Sangeet Kaur as per my Aadhar Card & School Certificates. All concerned please may note that my correct name is Dr. Sangeet Kaur.

DR. SANGEET KAUR  
w/o Sh. Gagandeep Dhillon,  
r/o H. No. C 34B, Sec-2, New Shimla,  
Distt. Shimla (H.P.).

### CHANGE OF NAME

I, Mahender Kumar s/o Sh. Hem Singh, r/o Village Dhandal, P.O. Samrahan, Tehsil Kotli, Distt. Mandi (H.P.) have changed my minor son's name from Girish to Divansh Rana. Please note.

MAHENDER KUMAR  
s/o Sh Hem Singh,  
r/o Village Dhandal, P.O. Samrahan,  
Tehsil Kotli, Distt. Mandi (H.P.).

### CHANGE OF NAME

I, Babbu s/o Sh. Karam Chand, r/o Village Bilawali Labana, P.O. & Tehsil Baddi, Solan (H.P.) have changed my name from Sucha Ram to Babbu.

BABBU  
s/o Sh. Karam Chand,  
r/o Village Bilawali Labana,  
P.O. & Tehsil Baddi, Solan (H.P.).

**CORRECTION OF NAME**

I, Puran Chand Sharma s/o Parshotam Dass, V.P.O. Nerti, Tehsil Shahpur, Nerti (137), Kangra (H.P.) declare that my correct name is Puran Chand Sharma and my father's correct name is Parshotam Dass. Whereas my name alongwith my father's name has been wrongly printed/recorded as Puran Chand and father's name as Parshotam Chand in Master Capital Services Ltd. under *vide* DP ID IN30114310693299. My name (Puran Chand Sharma and Puran Chand) and my father's name (Parshotam Dass and Parshotam Chand) refer to one and the same person. All note it.

PURAN CHAND SHARMA  
*s/o Parshotam Dass,  
V.P.O. Nerti, Tehsil Shahpur,  
Nerti (137), Kangra (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Henreus Tirkey s/o Piyush, r/o Village Rada, P.O. Shamshi, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.) -175126 declare that I have changed my name from Hindreeyus Tirkey to Henreus Tirkey. In future I must be known as Henreus Tirkey. Concerned note it.

HENREUS TIRKEY  
*s/o Piyush, r/o Village Rada,  
P.O. Shamshi, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu (H.P.).*

---

**CORRECTION OF NAME**

I, Santi Devi w/o Late Alam Ram, r/o Village Pundal, P.O. Gawali, Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card and PAN Card my name is wrongly entered as Shanti which should be corrected as Santi Devi. Please correct this.

SANTI DEVI  
*w/o Late Alam Ram,  
r/o Village Pundal, P.O. Gawali,  
Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.).*

---

**CORRECTION OF NAME**

I, Inder Chand s/o Sh. Biru Ram, r/o Shetitohal, P.O. Raila, Tehsil Sainj, Distt. Kullu (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly entered as Mamta Devi and her mother's name written as Indra in her school record. Now, I intend to correct my daughter's name as Mamta Soni and her mother's name as Indira in my daughter's school record. Concerned note it.

INDER CHAND  
s/o Sh Biru Ram,  
r/o Shetitohal P.O. Raila, Tehsil Sainj,  
Distt. Kullu (H.P.).

**नाम दुरुस्ती**

मैं, इंद्र चंद पुत्र बीरु राम, गांव शेतीटोहल, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश यह घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी का नाम स्कूल रिकॉर्ड में गलती से ममता देवी (Mamta Devi) व माता का नाम ईन्दरा (Indra) रिकॉर्ड हुआ है। जबकि सही नाम ममता सोनी (Mamta Soni) है। माता का नाम इन्दिरा (Indira) है। अतः भविष्य में मेरी बेटी को ममता सोनी (Mamta Soni) से जाना जाए जबकि माता का नाम इन्दिरा (Indira) दर्ज किया जाए और पढ़ा जाए।

इंद्र चंद  
पुत्र बीरु राम,  
गांव शेतीटोहल, डाकघर रैला, तहसील सैंज,  
जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Assistant Collector 2nd Grade, Shimla (Urban),  
Tehsil & District Shimla (H.P.)**

Date of Hearing : 07-01-2026

In the matter of :

Sh. Nandan Chopra s/o Sh. Kewal Krishan Chopra, r/o Set No. B, Daisey Bank Jakhoo,  
Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public

.. Respondent.

*Subject.*—Correction of Revenue entry

It is hereby notified for the information of the general public that an application has been received for entering the name of Kewal Krishan Chopra in place of Om Parkash in the Revenue Record *i.e.* Shop built upon Khasra No. 634, situated at Bazar Ward Bada Shimla, Tehsil Shimla Urban.

Any interested party having any claim, interest or objection regarding the above-mentioned proposed entry is hereby called upon to file their objection, if any, before the undersigned within the stipulated period or to appear in person on the date fixed for hearing.

If no objection is received within the prescribed time, the proposed change—entry of the name Kewal Krishan Chopra in place of Om Parkash shall be effected in the Revenue Record as per rules and law.

Given under my hand and seal of the Court today on ....12-2025.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector 2nd Grade,  
Shimla (Urban), Tehsil & District Shimla (H.P.).*

### ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 48 / 2025

तारीख मरजुआ : 30-07-2025

तारीख पेशी : 10-12-2025

1. श्रीमती संतोष पुत्री बजीरू, निवासी मोहाल क्वालग, डा0 व्योलिया, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती राधा देवी पुत्री बजीरू, निवासी मोहाल क्वालग, डा0 व्योलिया, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती बिमला पुत्री बजीरू, निवासी मोहाल क्वालग, डा0 व्योलिया, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थिया।

#### बनाम

1. श्रीमती आशा देवी पुत्री प्रेम दास, श्रीमती संतोष पुत्री बजीरू, निवासी मोहाल क्वालग, डा0 व्योलिया, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

1. श्रीमती संतोष पुत्री बजीरू, निवासी मोहाल क्वालग, डा0 व्योलिया, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती राधा देवी पुत्री बजीरू, निवासी मोहाल क्वालग, डा0 व्योलिया, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती बिमला पुत्री बजीरू, निवासी मोहाल क्वालग, डा0 व्योलिया, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू—विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 118/198, खसरा नं0 979/648 रक्बा तादादी 0-06-51 है0 वाका महाल क्वालग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु प्रतिवादीगण के मौका पर न मिलने व रिपोर्ट तामिल कुनिंदा के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ कर उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रही है।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू—विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 10-12-2025 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।



आज दिनांक 22-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

## हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 2 दिसम्बर, 2025

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-137/2025.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) जो आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—  
(यशपाल),  
सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

2025 का विधेयक संख्यांक 24.

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन), विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 7 का संशोधन।
3. धारा 13 का संशोधन।

**हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन)  
विधेयक, 2025**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन), अधिनियम, 2025 है।

**2. धारा 7 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (2) के परन्तुक (क) में, "पचास" शब्द के स्थान पर "एक सौ चौतालीस" शब्द रखे जाएंगे।

**3. धारा 13 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) में, "प्रत्येक स्थापन का नियोजक" शब्दों के पूर्व "दस या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

-----

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 को दुकानों और वाणिज्यिक स्थापना में कार्य और नियोजन की शर्तों को विनियमित करने हेतु लगभग 50 वर्ष पूर्व अधिनियमित किया गया था। इसके अधिनियमित किए जाने के पश्चात् महत्वपूर्ण संस्थागत तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के दृष्टिगत अधिनियम के कतिपय उपबंधों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ताकि उसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके।

वर्तमानतः, अधिनियम की धारा 7 ओवरटाइम संकर्म को किसी तिमाही में पचास घण्टे तक सीमित करती है। ओवरटाइम मानदेय के संदाय को साधारण घण्टों की मजदूरी से दोगुना करने के अध्वधीन इस सीमा को किसी तिमाही में, प्रति तिमाही एक सौ चौतालीस घण्टों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि कर्मचारियों को और अधिक आय के अवसर प्रदान किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, अधिनियम वर्तमानतः समस्त स्थापनों हेतु रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य करता है। अतः इस अपेक्षा को दस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापनों के लिए ही सीमित किए जाने का प्रस्ताव है। इस युक्तिकरण से राज्य में व्यवसाय को और अधिक प्रोत्साहित करने की अपेक्षा है। अतः हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 में संशोधन किया जाना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(हर्षवर्धन चौहान)  
(प्रभारी मंत्री)।

धर्मशाला

तारीख....., 2025.

-----  
वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—  
-----

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—  
-----

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन), अधिनियम, 2025

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(हर्षवर्धन चौहान)  
प्रभारी मंत्री।

-----  
सचिव (विधि)।

धर्मशाला:

तारीख : ....., 2025

-----  
*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Bill No. 24 of 2025.**

**THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS  
(AMENDMENT) BILL, 2025**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 7.
3. Amendment of section 13.

**THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS  
(AMENDMENT) BILL, 2025**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969  
(Act No. 10 of 1970).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called as the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025.

**2. Amendment of section 7.**—In section 7 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in proviso (a) of sub-section (2), for the word “fifty”, the words “one hundred forty four” shall be substituted.

**3. Amendment of section 13.**—In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), after the words “every establishment”, the words “employing ten or more employees” shall be inserted.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 was enacted over fifty years ago to regulate the conditions of work and employment in shops and commercial establishments. In view of the significant institutional and socio-economic changes since its enactment, certain provisions of the Act require revision to enhance its relevance and effectiveness.

Section 7 of the Act, presently restricts overtime work to fifty hours in a quarter. It is proposed to enhance this limit to one hundred and forty four hours per quarter, subject to the payment of overtime remuneration at twice the normal hourly wages, so as to provide employees with greater earning opportunities. Further, while the Act currently mandates registration for all establishments, it is proposed to limit this requirement to the establishments employing ten or more persons. This rationalisation is expected to facilitate ease of doing business in the State. Hence, it

has become expedient to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(HARSHWARDHAN CHAUHAN)**  
*Minister-in-Charge.*

DHARAMSHALA  
THE....., 2025

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

-Nil-

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

-Nil-

---

**THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS  
(AMENDMENT) BILL, 2025**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (Act No. 10 of 1970).*

**(HARSHWARDHAN CHAUHAN)**  
*Minister-in-Charge.*

*Secretary (Law).*

DHARAMSHALA:

THE....., 2025.

## हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 2 दिसम्बर, 2025

**संख्या : वि0स0-विधायन-विधेयक/1-134/2025.**—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—  
यशपाल,  
सचिव,  
हि0 प्र0 विधान सभा।

2025 का विधेयक संख्यांक 21.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 36 का संशोधन।
3. निरसन और व्यावृत्तियां।

2025 का विधेयक संख्यांक 21.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 1 नवम्बर, 2025 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 36 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 36 में,—

(क) उप-धारा (1) में “और तत्पश्चात् प्रत्येक अढ़ाई वर्ष के अवसान पर” शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) निगम के महापौर और उप महापौर की पदावधि उसके निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी, जब तक कि इस बीच महापौर या उप महापौर के रूप में वह अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे देता या जब तक उप महापौर के मामले में वह महापौर के रूप में निर्वाचित नहीं कर दिया जाता और वह अपनी पदावधि के अवसान पर अपने पद पर नहीं रहेगा:

परन्तु यदि महापौर या उप महापौर का पद रिक्त हो जाता है या इस कार्यकाल के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्ति होने के एक मास की अवधि के भीतर उसी वर्ग से शेष अवधि के लिए नया निर्वाचन करवाया जाएगा। ”।

**3. निरसन और व्यावृत्तियां.—**(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का 4) का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में, महापौर और उप महापौर की पदावधि अढ़ाई वर्ष (दो वर्ष छह माह) तक सीमित है। यह अल्पावधि निर्वाचित महापौर और उप-महापौर को निगम का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करने और नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं करता है। परिणामस्वरूप निगम में विकास कार्य और शासन जनसाधारण की प्रत्याशा की पूर्ति करने में प्रायः असफल रहते हैं। स्थिरता, निरंतरता और निगम के भीतर दीर्घकालिक योजना और सतत् विकास क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए महापौर और उप महापौर की पदावधि अढ़ाई वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करना आवश्यक है। अतः शासन और नगर निगम की विकासात्मक दक्षता में वृद्धि हेतु जनहित में यह संशोधन प्रस्तावित किया जाता है।

चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 अक्टूबर, 2025 को हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश संख्यांक 4) प्रख्यापित किया था जिसे अधिसूचना संख्या एल.एल.आर.-डी(6)-19/2025-लेज, तारीख 01 नवम्बर, 2025 द्वारा राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 03 नवम्बर, 2025 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधयेक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विक्रमादित्य सिंह)  
प्रभारी मंत्री।

धर्मशाला  
तारीख:.....

## वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

## हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधयेक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधयेक।

(विक्रमादित्य सिंह)

प्रभारी मंत्री।

सचिव (विधि)।

धर्मशाला

तारीखः....., 2025

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT***Bill No. 21 of 2025.****THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION  
(2nd AMENDMENT) BILL, 2025**

## ARRANGMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 36.
3. Repeal and saving.



**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION  
(2nd AMENDMENT) BILL, 2025**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (2nd Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 2025.

**2. Amendment of section 36.**—In section 36 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994,—

(a) in sub-section (1), the words “and thereafter at the expiration of every two and half years”, shall be omitted; and

(b) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) The term of office of the Mayor and Deputy Mayor of the Corporation shall be five years from the date of election, as such, unless in the mean time he resigns his office as Mayor or Deputy Mayor or unless in the case of Deputy Mayor is elected as the Mayor and he shall cease to hold his office on the expiry of his term of office:

Provided that if the office of the Mayor or Deputy Mayor is vacated or falls vacant during the tenure on account of death, resignation or no-confidence motion, a fresh election within a period of one month of the vacancy shall be held from the same category, for the remainder period.”.

**3. Repeal and saving.**—(1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025 (4 of 2025) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

\_\_\_\_\_

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

At present, the term of the Mayor and Deputy Mayor is limited to two and a half years. This short tenure does not provide sufficient time for the elected Mayor and Deputy Mayor to effectively represent and lead the Corporation. As a result, the development works and governance in the Corporation often fail to meet the expectations of the public. To provide stability, continuity, and adequate time to focus on long-term planning and sustained development activities within the Corporation, it is necessary to extend the term of the Mayor and Deputy Mayor from two and a half years to five years. Therefore, the amendment is proposed in the public interest to enhance the governance and developmental efficiency of the Municipal Corporation.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendment in Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 was required urgently, therefore, the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 4 of 2025) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Hon'ble Governor of Himachal Pradesh on 28th October, 2025, which was published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 1st November, 2025 *vide* Notification No. LLR-D (6)- 25/2025-Legn, dated 1st November, 2025. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular enactment without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(VIKRAMADITYA SINGH)**  
*Minister-in-Charge.*

DHARAMSHALA  
The.....,2025

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

—Nil—

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

—Nil—

---

---

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION  
(2nd AMENDMENT) BILL, 2025**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).*

**(VIKRAMADITYA SINGH)**  
*Minister-in-Charge.*

\_\_\_\_\_  
*Secretary (Law).*

DHARAMSHALA  
THE.....,2025

\_\_\_\_\_

